

प्ररूप - 4ख
(नियम - 59, 61, 62)

*पंचायत समिति/जिला परिषद के प्रधान/उप प्रधान/प्रमुख/उप प्रमुख के लिए निर्वाचन के नाम निर्देशन का प्ररूप

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम :
2. पिता या पति का नाम :
3. आयु :
4. लिंग :
5. जाति :
6. पता :
7. निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्यांक जहां से वह सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था :
8. प्रस्थापक का पूरा नाम और पता :

स्थान
तारीख

प्रस्थापक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं, उपर्युक्त नामित अभ्यर्थी, इस नाम निर्देशन के लिए मेरी सहमति देता हूँ और इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में वर्णित किन्हीं भी निरर्हताओं के अधीन नहीं हूँ और यह कि मैं उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उक्त स्थान के लिए अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि,-

(क) मुझे इस निर्वाचन में

(राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया है, अथवा

(ख) मैंने निम्नलिखित प्रतीकों का चयन किया है:-

(i) (ii) (iii)

स्थान
तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन

क्र.स. :

यह नाम निर्देशन-पत्र मुझे
(अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक का नाम) द्वारा (तारीख और
समय) प्रस्तुत किया गया।

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

रिटर्निंग अधिकारी का आदेश

स्वीकृत/अस्वीकृत

अस्वीकृत किये जाने के कारण

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

..... पंचायत समिति/जिला परिषद के
के रूप में निर्वाचन के लिए श्री नाम का
निर्देशन पत्र, जो मुझे, आज दिनांक को (समय) बजे श्री
..... द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्राप्त हुआ।

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।